**संख्या-478/2017/1984/22-2-2016-17(158)/2017**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2** **लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुड्डू पुत्र श्री रहीम, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुड्डू पुत्र श्री रहीम, ग्राम करूवामऊ थाना मिश्रिख, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनांक 21/22.12.1995 की रात्रि में खेत में पानी लगा रहे शिवरतन, नन्हके, किशोर व सुशील को 08-10 बन्दूकधारी लोगों ने पकड कर रूपया-10,000/-की मांग की, इसी बीच खेत में पानी लगाकर वापस लौट रहे हरि कुमार, हरनाम, श्रीमती गंगादेई व छोटक्के को बदमाशों ने पकड. लिया और उनसे भी रू0-10,000/-की मांग की, असमर्थता व्यक्त करने पर बन्दूक की बट से मारने लगे तथा हरि कुमार नन्हके, राम किशोर, छोटक्के व गंगादेई को बंधक बनाकर बाकी लोगों से रूपये लेकर आने को कहा और कुछ समय बाद बंधक बनाये गये 04 व्यक्तियों एवं 01 महिला की गला काटकर निर्ममता से हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1360/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 364ए, 364 में मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 30-04-2005 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2006 द्वारा यथावत् रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2010 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को निम्न आदेश पारित करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया:-

.....Here we like to note that the punishment of life sentence in this case must extend to their full life , subject to any remission by the Government for good reasons.

For the foregoing reasons and taking into account all the aggravating and mitigating circumstances, we confirm the conviction, however, commute the death sentence into that of life imprisonment.

बन्दी द्वारा दिनांक 13.01.2015 तक 19 वर्ष 00 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 03 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, पुन: अपराध जगत में शामिल हो जाने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर हरि कुमार, नन्हके, राम किशोर, छोटक्के व गंगादेई की गला काटकर अत्यन्त ही निर्ममता से हत्या कर जघन्यतम् अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गुड्डू पुत्र श्री रहीम, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गुड्डू (बन्दी संख्या-47262) पुत्र श्री रहीम, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-478/2017/1984(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्ंया-478/2017/1984@22-2-2016-17(158)/2017**

**दिनांक 22 जून, 2017 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी गुड्डू (बन्दी संख्या-47262) पुत्र श्री रहीम, ग्राम करूवामऊ, थाना-मिश्रिख, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनांक 21/22.12.1995 की रात्रि में खेत में पानी लगा रहे शिवरतन, नन्हके, किशोर व सुशील को 08-10 बन्दूकधारी लोगों ने पकड कर रूपया-10,000/-की मांग की, इसी बीच खेत में पानी लगाकर वापस लौट रहे हरि कुमार, हरनाम, श्रीमती गंगादेई व छोटक्के को बदमाशों ने पकड. लिया और उनसे भी रू0-10,000/-की मांग की, असमर्थता व्यक्त करने पर बन्दूक की बट से मारने लगे तथा हरि कुमार नन्हके, राम किशोर, छोटक्के व गंगादेई को बंधक बनाकर बाकी लोगों से रूपये लेकर आने को कहा और कुछ समय बाद बंधक बनाये गये 04 व्यक्तियों एवं 01 महिला की गला काटकर निर्ममता से हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1360/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 364ए, 364 में मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 30-04-2005 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.03.2006 द्वारा यथावत् रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2010 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को निम्न आदेश पारित करते हुए आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया:-

**.....Here we like to note that the punishment of life sentence in this case must extend to their full life , subject to any remission by the Government for good reasons.**

**For the foregoing reasons and taking into account all the aggravating and mitigating circumstances, we confirm the conviction, however, commute the death sentence into that of life imprisonment.**

बन्दी द्वारा दिनांक 13.01.2015 तक 19 वर्ष 00 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 03 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, पुन: अपराध जगत में शामिल हो जाने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर हरि कुमार, नन्हके, राम किशोर, छोटक्के व गंगादेई की गला काटकर अत्यन्त ही निर्ममता से हत्या कर जघन्यतम् अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गुड्डू पुत्र श्री रहीम, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in